राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 174/2014/बांसवाडा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट प्रथम, वृत बांसवाडा। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स गौरव टैक्टर्स, बांसवाडा। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....विभाग की ओर से
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 13.07.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 26 के अन्तर्गत पारित आदेश के जरिये कायम की गयी शास्ति राशि रूपये 5,000/– को अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 07.05.2013 द्वारा अपास्त किये जाने को अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विवरण पत्र देरी से प्रस्तुत किये जाने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी पर शास्ति आरोपण की गई। सशक्त अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, जिनको निस्तारित करते हुए अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बतलाया एवं तर्क दिया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विवरण प्रपत्र देरी से प्रस्तुत करने पर सशक्त अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई, जो कि न्यायोचित है। प्रत्यर्थी को शास्ति आरोपण से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया था। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नही है। तीन बार उपस्थित होने के लिए आवाजें दिलाई गई फिर भी कोई उपस्थित नही हुआ अतः एकपक्षीय निर्णय किए जाने का निर्णय लिया गया। राजस्व पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

लगातार.....2

6. प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना सुनवाई का मौका दिये बिना ही धारा 58 में शास्ति आरोपित कर दी थी जो अविधिक होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा विधि एवं न्यायिक निर्णयों के आलोक में अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है अतः राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

7. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

13/7/2015

(के.एल.जैन)
सदस्य